ई. मेल

पत्र संख्या–रा0प0–01/2025 (खंड–2) 825 /रा0

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
(राजभाषा)

प्रेषक,

एस0 एम0 परवेज़ आलम,
निदेशक।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/निबंधक, पटना उच्च न्यायालय/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद्/सचिव, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड/सभी प्रमंडलीय आयुक्त के सचिव–सह–प्रभारी उप निदेशक, राजभाषा/सभी जिला पदाधिकारी/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्य पुरी, दिल्ली।

पटना, दिनांक– 15-9-25

विषयः– **दिनांक–12.10.2025 (रविवार) को आयोजित राजपत्रित/अराजपत्रित कोटि की हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा तथा हिन्दी लिखने–पढ़ने की योग्यता परीक्षा में परीक्षा से विमुक्त किये गए पदाधिकारियों/कर्मचारियों के आवेदन को रद्द कर स्वच्छ सूची भेजने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा तथा हिन्दी लिखने–पढ़ने की योग्यता परीक्षा से कुछ पदाधिकारियों/कर्मचारियों को विभागीय परीक्षा से विमुक्त किया गया है (संबंधित पत्रांक की छाया प्रति संलग्न)। किन्तु आपके द्वारा भेजी गयी आवेदकों सूची में विमुक्त कर्मियों को भी सम्मिलित कर लिया गया है।

अतः विमुक्त पदाधिकारियों/कर्मचारियों के आवेदन को रद्द करते हुए कुल आवेदकों की स्वच्छ सूची यथाशीघ्र मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (राजभाषा) को भेजने की कृपा की जाए।

अनु0 : 1. पत्रांक–146, दिनांक 10.06.1977
2. ज्ञापांक–214, दिनांक 31.08.1978
3. पत्रांक–2567, दिनांक 23.11.1985
4. पत्रांक–408, दिनांक 10.03.1986
5. ज्ञापांक–1834, दिनांक 13.11.1987
6. पत्रांक–723, दिनांक 20.04.1988
7. ज्ञापांक–290, दिनांक 07.05.2012

विश्वासभाजन

15/9.

(एस0 एम0 परवेज़ आलम)
निदेशक

(34)

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग

संचिका संख्या–रा0प0–03 / 2010

अधिसूचना

बिहार सरकारी सेवक (हिन्दी परीक्षा) नियमावली, 1968 (यथा अद्यतन संशोधित) के नियम–9 के अधीन गठित उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य विभाग के अधीन निम्नलिखित 16 पदों के लिए उक्त नियमावली की कंडिका–3 के तहत हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा में उत्तीर्णता की अनिवार्यता को दिनांक 05.05.2005 के प्रभाव से शिथिल किया जाता है–

i फर्मासिस्ट
ii प्रयोगशाला प्रावैधिक
iii बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता
iv एक्सरे टेकनीशियन (रेडियोग्राफर)
v एक्सरे मैकेनिक
vi शल्य कक्ष सहायक (ओ0टी0 असिसटेंट)
vii डार्क रूम असिस्टेंट
viii परिधापक (ड्रेसर)
ix स्वास्थ्य परिदर्शक
x मिश्रक
xi हेल्थ वर्कर
xii कलाकार सह छायाकार
xiii चालक–सह–चलचित्र चालक (एम्बुलेंस चालक)
xiv महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता
xv ए–ग्रेड नर्स
xvi सहायक कार्यकर्त्ता

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(राघवेन्द्र झा)
अपर सचिव–सह–निदेशक

ज्ञाप संख्या ..../रा0, पटना, दिनांक–....................

प्रतिलिपि:– महालेखाकार, बिहार, वीर चन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(राघवेन्द्र झा)
अपर सचिव–सह–निदेशक

ज्ञाप संख्या 290 /रा0, पटना, दिनांक– 7.5.12

प्रतिलिपि:– प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/सभी विभाग/विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

04.5.12
(राघवेन्द्र झा)
अपर सचिव–सह–निदेशक

KuvarjiRab Pa0-03-2010.doc

संख्या रा० प० 19185-रा०--2567
बिहार सरकार
राजभाषा विभाग

प्रेषक
श्री सुवलेन्द्र कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में
सभी विभाग,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी जिला पदाधिकारी,
सभी अनुमंडलाधिकारी।

पटना, दिनांक 23 नवम्बर 1985

विषय--सरकारी सेवकों को हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा से छूट के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक इस विभाग के ज्ञाप संख्या 3।हि०-3-5034।68।503 रा०, दिनांक 5 दिसम्बर 1968 के प्रसंग में निदेशानुसार सूचित करना है कि आप अपने अधीनस्थ जिन सरकारी सेवकों के बारे में हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा से छूट के लिए अनुशंसा करते हैं उनके संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन देने की कृपा करें कि उन्हें अपने कार्य संपादन के दौरान निम्नलिखित कार्य करने पड़ते हैं अथवा नहीं :--

(क) टिप्पणी लिखनी पड़ती है या नहीं,
(ख) प्रारूप तैयार करना पड़ता है या नहीं और
(ग) प्रतिवेदन (रिपोर्ट) देना पड़ता है या नहीं।

उपर्युक्त तथ्यों के संबंध में स्पष्ट जानकारी प्राप्त होने पर ही सम्बद्ध कर्मचारियों के मामलों पर विचार किया जा सकेगा।

इसे कृपया अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन,
सुवलेन्द्र कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

पत्र सं० 403 रा०
बिहार सरकार
राजभाषा विभाग

प्रेषक
डॉ० भगवती शरण मिश्र,
निदेशक।

सेवा में
सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी/परियोजना कार्यपालक पदाधिकारी।

पटना, दिनांक 10 मार्च 1986

विषय--उर्दू/हिन्दी टंकक को हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा उत्तीर्ण होने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक इस विभाग के पत्र सं० 2136।रा०, दिनांक 23 अगस्त 1985 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए सूचित करना है कि स्थिति स्पष्ट किये जाने के बावजूद राजभाषा विभाग द्वारा पदस्थापित हिन्दी/उर्दू टंकको को वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं दी जा रही है। इस प्रसंग में यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि टंकको के निर्धारित कर्त्तव्यानुसार उन्हें टिप्पणी लिखने या प्रारूप तैयार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अतः उनके लिये हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण की परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक नहीं है।

उपर्युक्त स्पष्टीकरण के आलोक में राजभाषा विभाग द्वारा पदस्थापित उर्दू/हिन्दी टंकको को वार्षिक वृद्धियां स्वीकृत की जा सकती है।

विश्वासभाजन,
(ह०) अस्पष्ट,
निदेशक।

32

संख्या-रा० प० 20/87—723/रा०

बिहार सरकार

राजभाषा विभाग

प्रेषक

श्री रमा शंकर तिवारी,
सरकार के सचिव।

सेवा में

सरकार के सभी विभाग

सभी विभागाध्यक्ष

सभी प्रमंडलायुक्त

सभी जिलाधिकारी/उपायुक्त

सभी प्रमंडलीय उपनिदेशक, राजभाषा।

पटना, दिनांक 20 अप्रील 1988

विषय—आशुलिपिकों के लिए हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा की उत्तीर्णता के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों द्वारा राजभाषा विभाग से यह स्पष्ट करने की अपेक्षा की जाती रही है कि आशुलिपिकों के लिए हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा में उत्तीर्णता की अनिवार्यता है या नहीं; क्योंकि उन कार्यालयों के आशुलिपिकों की वेतनवृद्धियां उक्त परीक्षा में उत्तीर्ण न होने के कारण रोक रखी गई है।

2. राज्य सरकार ने आशुलिपिकों के निर्धारित कर्त्तव्य एवं दायित्व पर विचार कर यह पाया है कि उक्त आशुलिपिकों के कार्य संपादन के क्रम में टिप्पणी लिखने, प्रारूप या प्रतिवेदन तैयार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अतः आशुलिपिकों के लिए बिहार सरकारी सेवक (हिन्दी परीक्षा) नियमावली, 1968 के उपबन्धों के अनुसार हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक नहीं है। इस संवर्ग के कर्मचारियों को उच्चतर पद पर प्रोन्नति के पश्चात् यदि कार्य संचालन में टिप्पणी लिखने, प्रारूप या प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो, तो उन्हें इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य हो जाएगा।

कृपया इस आशय की सूचना अपने अधीनस्थ कार्यालयों को भी देने का कष्ट करें।

विश्वासभाजन,
रमा शंकर तिवारी,
सरकार के सचिव।

संख्या 1834/रा०
बिहार सरकार
राजभाषा विभाग

प्रेषक

डॉ० भगवती शरण मिश्र,
निदेशक।

सेवा में,

सरकार के सभी विभागाध्यक्ष
सरकार के सभी विभाग
अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना
सभी प्रमंडलायुक्त
सभी जिलाधिकारी
सभी प्रमंडलीय उप-निदेशक, राजभाषा।

पटना, दिनांक 13 नवम्बर 1987

विषय:-राज्य के सभी प्राथमिक/मध्य/माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/सहायक शिक्षकों/शिक्षिकाओं के लिए हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा की अनिवार्यता।

महोदय

निदेशानुसार सूचित करना है कि बिहार सरकारी सेवक (हिन्दी परीक्षा) नियमावली, 1968 के अधीन विहित हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा में उन सरकारी सेवकों को उत्तीर्णता प्राप्त करने की आवश्यकता होती है जिन्हें अपने कार्य-संपादन में हिन्दी में टिप्पणी लिखने, प्रारूप या प्रतिवेदन तैयार करना पड़ता है।

राजभाषा विभाग ने प्राथमिक/मध्य/माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों/सहायक शिक्षकों के कर्तव्यों पर विचार कर यह निर्णय लिया है कि चूंकि इन्हें कार्य संपादन में हिन्दी में टिप्पणी लिखने, प्रारूप या प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं। किन्तु उनकी प्रोन्नति प्रभारी प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्यक के पद पर होने पर यदि उनके लिए टिप्पणी लिखने प्रारूप या प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी, तो उनके लिए उस स्थिति में इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक हो जाएगा।

विश्वासभाजन,
भगवती शरण मिश्र,
निदेशक।

ज्ञाप संख्या 1834/रा०

पटना, दिनांक 13 नवम्बर, 1987

प्रति:-श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, महासचिव, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ पटना को सूचनार्थ दी जाती है।

भगवती शरण मिश्र,
निदेशक।

30

पत्र संख्या रा०।स्था०-- 214

बिहार सरकार

राजभाषा विभाग

प्रेषक

श्री रणेन्द्र नीलाभ मिश्र,
सरकार के उप-सचिव,

सेवा में

महालेखाकार, बिहार,
विस्कोमान भवन, पटना।

पटना-15, दिनांक 9 भाद्र 1900(श०)/31 अगस्त 1978

विषय :-हिन्दी परीक्षा नियमावली, 1968 का चिकित्सा महाविद्यालयों के प्राचार्य/प्राध्यापकों पर लागू किया जाना।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या जी० ए०-2 मेंडो-जेनरल-डी०ई०—1468, दिनांक 2 सितम्बर 1976 के सम्बन्ध में मुझे कहना है कि राजभाषा विभाग की अधिसूचना सं० 361, दिनांक 15 जून, 1968 के सभी प्रावधान चिकित्सा सेवा के पदाधिकारियों पर लागू माने जायेंगे किन्तु जिस वर्ग के पदाधिकारियों को स्वास्थ्य विभाग के परिपत्र संख्या 3942(3), दिनांक 29 अक्तूबर 1974 के द्वारा छूट दी गई थी वह पूर्ववत् रहेगी अर्थात् मात्र 31 दिसम्बर 1975 तक उन पदाधिकारियों को हिन्दी टिप्पण-प्रारूपण परीक्षा से मुक्त समझा जायगा। चिकित्सा सेवा के वैसे पदाधिकारी जो चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्यरत हैं, उनमें अध्यापन कार्य में संलग्न ट्यूटर, लेक्चरर, प्राध्यापक आदि वैसे पदाधिकारी, जिन्हें अपने कार्यों के सम्पादन के क्रम में टिप्पणी एवं प्रारूपण नहीं देना पड़ता है, इस अधिसूचना से विमुक्त माने जायेंगे, लेकिन महाविद्यालयों के प्राचार्य एवं वैसे प्राध्यापक जो विभागाध्यक्ष हैं, पर यह नियमावली पूर्ववत् लागू रहेगी एवं उन्हें विधिवत् पदोन्नति के एक वर्ष के अन्दर हिन्दी टिप्पण-प्रारूपण परीक्षा पास करनी होगी अन्यथा उन्हें वेतन-वृद्धियां देय नहीं होगी।

कृपया तदनुसार कारंवाई की जाय।

विश्वासभाजन,
रणेन्द्र नीलाभ मिश्र,
सरकार के उप-सचिव।

ज्ञाप संख्या रा०।स्था--- 214

पटना-15, दिनांक 31 अगस्त 1978

प्रतिलिपि स्वास्थ्य आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारंवाई हेतु अग्रसारित।

रणेन्द्र नीलाभ मिश्र,
सरकार के उप-सचिव।

पत्र संख्या 3।हि-3-6044।76-15, पटना, दिनांक 10 जनवरी 1977, उप-सचिव, मंत्रिमंडल (राजभाषा) सचिवालय, बिहार सरकार द्वारा सरकार के सभी विभाग।सभी विभागाध्यक्ष।सभी प्रमंडलायुक्त।जिला पदाधिकारी। वित्त विभाग (पेंशन एवं वेतन निर्धारण शाखा) को प्रेषित ।

विषय—सचिवालय एवं अधीनस्थ कार्यालय में कार्यरत स्टाफकार ड्राइवरों (वेतनमान 220-315 रु०) को हिन्दी परीक्षा से विमुक्ति ।

निदेशानुसार यह कहना है कि राज्य-सरकार ने स्टाफकार ड्राइवरों को हिन्दी नियमावली, 1968 के अन्तर्गत हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा एव हिन्दी पढ़ने एवं लिखने की योग्यता-परीक्षा से विमुक्ति देने की कृपा की है ।

2. यह आदेश दिनांक 15 जून, 1968 से प्रभावी होगा एवं संबंधित अंश तक राजभाषा सचिवालय की अधिसूचना संख्या 361, दिनांक 15 जून, 1968 का अवक्रमण कर सकेगा ।

3. कृपया इसकी सूचना सभी सम्बद्ध कार्यालयों को दे दी जाय ।

ज्ञाप संख्या 3।हि-3 6044।76-15, पटना-15, दिनांक 10 जनवरी, 1977, उप-सचिव, मंत्रिमंडल (राजभाषा) सचिवालय, बिहार सरकार द्वारा प्रतिलिपि महालेखागार, बिहार, विस्कोमान भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिये प्रेषित की जाती है ।

पत्र संख्या 3/हि 3-40317-146, पटना-15, दिनांक 10 जून 1977, उप-सचिव, मंत्रिमंडल (राजभाषा) सचि
वालय, बिहार सरकार, पटना द्वारा सरकार के सभी विभाग।सभी विभागाध्यक्ष।सभी प्रमंडलायुक्त।सभी जि
पदाधिकारी।सभी प्रमंडलीय एवं जिला हिन्दी अनुदेशक को प्रेषित ।

विषय---अमीनों को हिन्दी परीक्षा में उत्तीर्णता---एक स्पष्टीकरण ।

निदेशानुसार मुझे कहना है कि सरकार के ध्यान में यह तथ्य आया है कि प्रायः राजस्व एवं अन्य विभा
के अधीन कार्यरत अमीनों को हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा देने के लिये बाध्य किया जाता है एवं उस
अनुत्तीर्ण रहने पर वेतन वृद्धियां रोक दी जाती है । अतः इस सम्बन्ध में मुझे कहना है कि अमीनों को हि
टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा पास नहीं करनी है । अगर वे हिन्दी के साथ प्रवेशिका या समकक्ष परीक्षा पास न

(27)

९०

हैं, तो उन्हें हिन्दी में पढ़ने-लिखने की योग्यता परीक्षा पास करनी होगी अन्यथा उन्हें वेतन-वृद्धियां देय नहीं होंगी ।

2. कृपया पत्र-प्राप्ति की सूचना दी जाय एवं इसकी जानकारी अपने अधीनस्थ सभी कार्यालयों को करा दी जाय ।

ज्ञाप संख्या राहि० 3-405/77-146, पटना-15, दिनांक 10 जून, 1977, उप-सचिव, मंत्रिमंडल (राजभाषा) सचिवालय, बिहार सरकार, पटना द्वारा प्रतिलिपि वित्त विभाग (वेतन निर्धारण शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित ।